727

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2()जविप्रा/ईसी/मिटिंग/96-1666 दिनॉक 21.11.97

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 65 वीं बैठक दिनॉक 25.10.97 का कार्यवाही विवरण ।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक ए 277-65/जविप्रा/ 597 दिनॉक 30.07.97 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की 65 वीं बैठक दिनॉक 25.10.97 को अपरान्ह 4.30 बजें प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित की गयी । बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण सलग्न परिशिष्ठ ' क ' पर अंकित है।

बैठक में विचार विमर्श के सन्दर्भ से एजेन्डा बिन्दुओं पर निम्नांकित विवरणानुसार निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव 65.1

कार्यकारी समिति की 64 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि ।

पारित प्रस्ताव 65.1

बैठक के गत 64 वी बैठक दिनॉक 30.04.97 की कार्यवाही विवरण का परिशिष्ठ 'एक' के विवरणानुसार अवलोकन किया जाकर अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव 65.2

कार्यकारी समिति की 64 वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिर्पोट।

पारित प्रस्ताव 65.2

कार्यकारी समिति की 64 वीं बैठक के निर्णयो की क्रियान्विति रिर्पोट जो कि परिशिष्ठ 2 पर रखी गयी है का अवलोकन किया गया ।

प्रस्ताव 65.3

ग्राम कुकर खेडा तहसील आमेर के खसरा नं. 85 / 1 की 3755 वर्ग गज भूमि के उपांन्तरण के सन्दर्भ में ।

20/11/97

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रस्ताव 65.6

जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनिमय, 1984 के सल्गन अनुसूचि संख्या 8 के क्रम संख्या 4 आशुलिपिक ग्रेड- द्वितीय कालम 3 भर्ती के तरीके में संशोधन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 65.6

(क) पूर्व में पारित कार्यकारी समिति की 63 वीं बैठक दिनांक 3.3.97 के प्रस्ताव संख्या 63.6(2) पर पुनः विचार किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी(भर्ति एंव सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के अनुसूचि 8 कम सख्या 4 आशुलिपिक संवर्ग (ग्रेड द्धितीय) के निधारित भर्ती के तरीके '100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्धारा ' (कालम 3) एवं 'प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा' (कालम 5 टिप्पणी) में शिथिलता प्रदान की जा कर 6 कनिष्ठ सहायक जिन्हे आशुलिपिक के पद पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान कि गयी है, की नियुक्ति टंकण एवं आशुलिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने पश्चात आज्ञा कमांक एफ-14 (10) जविप्रा/संस्था/83 दिनांक 23.05.95 मे उल्लेखित तिथियो से नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया । यह एक बारीय व्यवस्था होगी। भविष्य में इसका पूर्वादाहरण के रूप में उल्लेख नहीं किया जायेगा।

(ख) विनियमो के कालम 3 व 5 की प्रविष्टियां यथावत रखी जावे।

(ग) इन 6 आशुलिपिको के पद जब सेवा निवृति / इस्तीफे आदि से रिक्त होगे तो उन्हे नियमानुसार सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा।

प्रस्ताव 65.7 (1)

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघो को मान्यता एवं कर्मचारी संघो द्वारा आयोजित किये जाने वाले समारोहों एवं आयोजनो में प्राधिकरण के वितिय योगदान के सम्बन्ध में।

पारित पस्ताव 65.7 (1)

बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा का समिति द्वारा अवलोकन किया जाकर निम्नाकिंत निर्णय लिए :-

(क) प्राधिकरण के किन किन कर्मचारी संघो को मान्यता दी जावे, राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर लिये जावे तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जावे।

(ख) भविष्य में केवल गणतंन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं स्थापना दिवस के समारोहों पर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघो के माध्यम से खर्चा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा, तथा समारोहों पर व्यय की सीमा 50,000 रू होगी ।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

20/11/92

प्रस्ताव 65.7 (2)

पटवारी/अमीन के 8 पद स्वीकृत किये जाने के सन्दर्भ में ।

पारित प्रस्ताव 65.7 (2)

(क) बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा आइटम का अवलोकन किया गया एवं पटवारी/अमीन के पदो की विभिन्न प्रकोष्ठो की संशोधित स्ट्रेन्थ निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं 8 पटवारी / अमीन के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करने का निणर्य लिया गया ।

(ख) यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों को प्रतिनियुक्ति से ही भरा जावेगा।

प्रस्ताव 65.7 (3)

विज्ञापन नीति निर्धारण करने के सन्दर्भ में।

पारित प्रस्ताव 65.7 (3)

समिति ने विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत एजेण्डा प्रस्ताव को निम्न संशोधनो के साथ पारित किया :

(क) एजेण्डा आइटम 65.7(3) के कम सख्या 2 (I) के अंत में ' सामान्यत: सजावटी विज्ञापन नहीं दिये जा सकेगें ' जोडा जावे।

(ख) एजेण्डा आइटम 65.7(3) के कम सख्या 2 (II) में ' समूल्य प्रसार दावे ' के स्थान पर' जन सम्पर्क विभाग द्वारा आंकलित समूल्य प्रसार संख्या प्रतिस्थापित' किया जावे।

(ग) एजेण्डा आइटम 65.7(3) के कम सख्या 2 (IV) मे ' .... उस स्थिति में' के एवं ' ऐसे समाचार पत्र .... ' के बीच - रोस्टर के कम के अनुसार ' जोडा जावें ।

(घ) एजेण्डा आइटम 65.7(3) के कम सख्या 2 (VII) मे ' किन्तु यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विज्ञापन का खर्चा कार्य लागत मूल्य के सामान्यत: 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।' के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करने को निर्णय लिया कि- ' कम संख्या 1,2,3, की श्रेणियो के लिए टेपरिंग आधार पर विज्ञापन खर्च कि अधिकतम सीमा तय किया जावे । टेपरिंग आधार पर उक्त श्रेणियो के लिए विज्ञापन खर्च अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा के अन्दर रखते हुए, किसी श्रेणी पर होने वाले व्यय की सीमा तय करने हेतु कार्यकारी समिति ने जविप्रा आयुक्त को अधिकृत किया ' ।

(च) एजेण्डा आइटम 65.7(3) के कम सख्या 2 (VIII) मे ' उच्चतर ' के स्थान पर ' आयुक्त ' प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया ।

21/1/97

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 65.7(4)

वरिष्ठ लेखाधिकारी का एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 65.7(4)

बैठक मे प्रस्तुत एजेण्डा आइटम का अवलोकन किया गया। प्रस्तावानुसार वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी कि इस पद को प्रतिनियुक्ति से ही भरा जावेगा 1

प्रस्ताव 65.7 (5)

योजनाओं की आरक्षित दर/न्यूनतम विक्रय दर निर्धारण के संदर्भ में

पारित प्रस्ताव 65.7(5)

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा आइटम का अवलोकन करने के पश्चात निर्णय लिया कि विभिन्न योजनाओं की आरक्षित दर/न्यूनतम विक्रय दर मे वृद्वि का समग्र मूल्यांकन किया जाकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुस्त किये जावे ।

प्रस्ताव 65.7(6)

मनोरंजन भत्ते मे संशोधन के संदर्भ में।

पारित प्रस्ताव 65.7(6)

कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा का अवलोकन किया जाकर प्रस्तावानुसार मनोरंजन भत्ते की राशि में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।

प्रस्ताव 65.7(7)

तहसीलदारों के 5 पद सृजित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 65.7(7)

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन किया जाकर प्रस्तावानुसार तहसीलदार /नायब तहसीलदार के 5 पद सृजित करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि इन स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति से ही भरा जावेगा।

20/1/92

सचिव,
जयपुर ... जयपुर

776

प्रस्ताव 65.7(8)

प्रतिनियुक्ति अवधि निर्धारण के संदर्भ मे ।

पारित प्रस्ताव 65.7(8)

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा का अवलोकन कर निर्णय लिया कि प्राधिकरण मे प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियो/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि उनके सम्पूर्ण सेवा काल में 4 वर्ष से अधिक की नहीं रखी जावे । इस प्रतिनियुक्ति अवधि की समय सीमा में निदेशकगणों की सेवा सम्मिलित नहीं होगी।

प्रस्ताव 65.7(9)

बेलदारों से कनिष्ठ सहायक के पद पर पद्धोन्नति के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 65.7(9)

(क) कार्यकारी समिति ने प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 की अनुसूचि संख्या 8 में संशोधन करने के स्थान पर एक बारीय शिथिलता प्रदान करते हुए टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/बेलदारों जिनके द्वारा 10 वर्ष की सन्तोषपूर्ण सेवा अवधि पूर्ण कर ली है को कनिष्ठ सहायक के पद पर पद्धोन्नति दिये जाने पर विचार कर लिया जावें। यह एक बारीय व्यवस्था होगी। जिसका पूर्वोद्धारण के रूप में उल्लेख नही किया जा सकेगा ।

(ख) अत: प्राधिकरण द्वारा पारित पूर्व प्रस्ताव 33.10(4) जिसे कार्यकारी समिति के प्रस्ताव संख्या 60.6 के क्रम में पारित किय़ा गया था के क्रियान्विति में व्यवहारिक कठिनाइ को मध्य नजर रखते हुए प्राधिकरण के उक्त प्रस्ताव 33.10(4) द्वारा पारित संशोधन को विड्रा करने का निणर्य लिया गया । तद्नुसार प्रस्ताव प्राधिकरण में रखा जावे ।

प्रस्ताव 65.7(10)

प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी में सदस्य मनोनीत करने के क्रम में

पारित प्रस्ताव 65.7(10)

(क) विचार विमर्श पश्चात निणर्य लिया गया कि प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी में दो जनप्रतिनिधि मनोनीत किये जावे, यह सदस्य कोन होंगे इसका निर्णय अध्यक्ष, जविप्रा से प्राप्त कर लिया जावे।

20/11/92

(ख) इसके अतिरिक्त प्रस्ताव अनुसार निदेशक विधि एवं अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवं परियोजनाए) को प्राजेक्ट रिव्यू कमेटी के सदस्य के रूप मे सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया ।

(ग) इस समिति के सदस्य सचिव जोनल अभियन्ता जविप्रा होंगे ।

प्रस्ताव 65.7(11)

पृथ्वीराज नगर योजना के अनुमोदन बाबत ।

पारित प्रस्ताव 65.7(11)

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम का अवलोकन कर निम्नांकित निर्णय लिये गये :

(अ) योजना के लिए काश्तकारों से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-6 (44) नविआ/3/89 दिनांक 4.10.97 के अनुसार नेगोसिएशन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(ब) पृथ्वीराज नगर योजना को औपचारिक रूप से आरम्भ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और प्रथम चरण की आरक्षित दर रूपये 750.00 प्रति वर्गमीटर रखे जाने का निर्णय किया गया ।

(स) इस योजना की सफल क्रियान्विति हेतु प्रस्तावानुसार योजना के विवरण, शर्तो, भूखण्ड साइज एवं प्रपत्र आदि तथा विज्ञापन की प्रक्रिया का अनुमोदन करते हुए 30 लाख रूपये का व्यय प्रचार एवं प्रसार पर करने की स्वीकृति दी गयी।

(द) पृथ्वीराज नगर योजना के खसरा नक्शों की स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन के लिए प्रस्तावानुसार 15.00 लाख रूपये की सीमा तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात् बैठक में कोई अन्य बिन्दु विचारार्थ अवशेष नहीं होने पर आसन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 65 वीं बैठक दिनांक 25.10.97 मे उपस्थित सदस्यो की सूची :

1.	श्री राजीव महर्षि	जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा
2.	श्री आशीष बहुगुणा	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पर्यटन निगम
3.	श्री उमेश कुमार	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
4.	श्री आर.के.सूद	मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
5.	श्री एच.एस.राठौड	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वा०अभि०विभाग
6.	श्री विनोद जुत्शी	जिला कलेक्टर, जयपुर
7.	श्री अभय कुमार	सचिव, जविप्रा
8.	श्री बी.एल.जाटावत	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर
9.	श्री आर.सी.भण्डारी	निदेशक अभियांत्रिकी, जविप्रा
10.	श्री वी.एल.शर्मा	निदेशक{वित्त} जविप्रा
11.	श्री पी.के.माथुर	निदेशक{आयोजना} जविप्रा
12.	श्री सुबोध लक्ष्मण	निदेशक{विधि} जविप्रा
13.	श्री ओ.पी.सहारण	अतिरिक्त आयुक्त{भू.एवंयो०}जविप्रा
14.	श्रीमती छायाभटनागर	अतिरिक्त आयुक्त{प्रशासन} जविप्रा
15.	श्री नवल किशोर शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त{समन्वय}जविप्रा
16.	श्री विक्रम सिंह	उपायुक्त जोन-सी-1, जविप्रा
17.	श्री अरविन्द आर्य	जोनल अभियन्ता{मुख्यालय}
18.	श्री विजय कुमार शर्मा	जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर